Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, JULY 12, 2014
(ASADHA 21, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 12th July, 2014

No. 29—HLA of 2014/65.—The Haryana Police (Amendment) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 29—HLA of 2014

HARYANA POLICE (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Police Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Police (Amendment) Act, 2014. Short title.

2. In section 2 of the Haryana Police Act, 2007 (hereinafter called the principal Act),– Amendment of section 2 of Haryana Act 25 of 2008.

(I) before clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ia) "Authority" means the State Police Complaint Authority constituted under section 59;';

(II) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

'(aa) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority or District Police Complaint Authority, as the case may be;';

(III) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

'(cc) "District Police Complaint Authority" means the District Police Complaint Authority constituted under section 68;';

(IV) after clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

'(ff) "member" means the member of the Authority or District Police Complaint Authority, as the case may be;';

Substitution of section 59 of Haryana Act 25 of 2008.

3. For section 59 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"59. Constitution of Authority.—(1) The State Government shall constitute a body to be called the State Police Complaint Authority to exercise the powers and perform the functions conferred on or assigned to it, under this Act.

(2) The Authority shall consist of –

(a) a Chairperson; and

(b) such number of members as deemed necessary but not exceeding three;

(c) The Chairman and the members shall be appointed by the Chief Minister from amongst the persons of eminence having wide knowledge and experience of at least twenty years in the field of public life, academic, law, administration and governance, criminal administration and social work on the recommendations of the State Committee to be constituted in this behalf which shall submit its proposal to the Chief Minister:

Provided that at least one of the member or the Chairperson shall be a woman.".

Amendment of section 60 of Haryana Act 25 of 2008.

4. In section 60 of the principal Act, after the words "to be appointed as", the words "the Chairperson or a member of the" shall be inserted.

Substitution of section 61 of Haryana Act 25 of 2008.

5. For section 61 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"61. *Terms and conditions of a Chairperson or a member of the Authority.*– (1) The term of the office of a Chairperson or a member shall be three years, unless he-

(*i*) resigns at any time before the expiry of his term: or

(ii) is removed from the office on any of the grounds mentioned in section 62;

(iii) attains the age of seventy years:

Provided that the Chairperson or a member shall, on the expiry of his term of office, be eligible for re-appointment for another term of three years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

(2) The remuneration, allowances and other terms and conditions of service of a Chairperson and members shall be such, as may be notified by the State Government, from time to time and shall not be varied to his advantage after appointment.

(3) The Chairperson or a member may, in writing under his hand, addressed to the State Government, resign from his office.".

6. For section 62 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 62 of Haryana Act 25 of 2008

"62 Power to remove.– (1) The Chairperson or a member of the Authority may be removed by the State Government on the grounds of–

(a) proven misconduct or misbehaviour;

(b) persistence neglect to perform duties;

(c) occurrence of any situation that would make him ineligible for appointment under section 60; or

(d) engaging himself during his term of office in any paid employment outside the duties of his office:

Provided that an enquiry shall be held before removing a Chairperson or a member by a retired Judge of the High Court of Punjab and Haryana.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by order, remove the Chairperson or any member, if he–

(a) is adjudged as insolvent; or

(b) in the opinion of the State Government is unfit to continue his office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct.".

Substitution of section 65 of Haryana Act 25 of 2008.

7. *For sub-section (1) of section 65 of the principal Act, the following* sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Authority shall inquire into allegations of serious misconduct against police personnel of the rank of Deputy Superintendent of Police and above as detailed below, either suo motu or on a complaint received from,-

(a) a victim or any person on his behalf on a sworn affidavit; or

(b) the National or State Human Rights Commission.

Explanation.- "serious misconduct" for the purpose of this Chapter *shall mean any act or omission of a police officer that leads* to or amounts to –

(a) rape or attempt to commit rape;

(b) death in police custody;

(c) grievous hurt;

(d) custody or detention without due process of law:

(e) extortion;

(f) acquiring property through coercion ;

(g) involvement of police personnel in organized crime;

(h) inaction by police official in any offence as defined in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) which attracts *minimum punishment of ten years or more:*

Provided that the Authority shall inquire into a complaint of such arrest or detention, only if it is satisfied prima facie about the veracity of the complaint:

Provided further that no anonymous, synonymous and *pseudonymous complaints shall be entertained.*".

Amendment in section 66 of in Haryana Act 25 of 2008.

8. In section 66 of the principal Act, for the word "him", the word "it" shall be substituted.

Amendment of *section 67 of* Haryana Act 25 of 2008.

9. In sub-section (1) of section 67 of the principal Act, for the word "he", the word "it" and for the word "his" the word "its" shall be substituted.

Substitution of section 68 of Haryana Act 25 of 2008.

10. In the principal Act, for section 68, the following sections shall be substituted, namely:-

"68. District Police Complaint Authority.– (1) The State Government shall, constitute a body to be called the District Police Complaint Authority for one or more districts to exercise the powers and perform the functions conferred on or assigned to it under this Act.

(2) The District Police Complaint Authority shall consist of –

(a) a Chairperson ; and

(b) such number of members not exceeding three, as deemed necessary.

(3) The Chairperson and the members shall be person of eminence having wide knowledge and experience of at least ten years in the field of public life, academics, law, administration and governance, criminal administration and social work:

Provided that an advocate appointed to the District Police Complaint Authority shall cease to practice law during the tenure of his appointment, as such.

(4) The Chairperson and members of the District Police Complaint Authority shall be appointed by the Government on the recommendation of the committee to be constituted in this behalf.

(5) A person shall be ineligible for appointment as Chairperson or member if he–

(a) is not a citizen of India;

(b) is above sixty-five years of age;

(c) is employed as a public servant;

(d) holds any elected office, including that of Member of Parliament or State Legislature or any local body;

(e) is a member of or is associated in any manner with an organization declared as unlawful under any existing law;

(f) is an office bearer or a member of any political party;

(g) has been convicted for any criminal offence involving moral turpitude or for an offence punishable with imprisonment of one year or more;

(h) is facing prosecution for any offence mentioned in clause (g) above and against whom charges have been framed by a court of law; or

(i) is of unsound mind and has been so declared by a competent court.

68A. Terms and conditions of Chairperson or members of the District Police Complaint Committee.– (1) The term of office of the Chairperson or member shall be three years unless-

(a) he resigns at any time before the expiry of his term; or

(b) he is removed from the office on any of the grounds mentioned in section 68B.

(2) The remuneration, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson/members of the District Police Complaint Authority shall be such, as may be notified by the State Government, from time to time and shall not be varied to his disadvantage after appointment.

68B. Removal.– The Chairperson/member of the District Police Complaint Authority may be removed by the State Government on the grounds-

(a) of proven misconduct or misbehavior;

(b) of persistence neglect to perform duties;

(c) of occurrence of any situation that would make him ineligible for appointment under section 68;

(d) of engaging himself during his term of office in any paid employment outside the duties of his office.

68C. Functions of the District Police Complaint Authority.– (1) The District Police Complaint Authority shall enquire into allegations of serious misconduct against police personnel upto the rank of Inspectors either suo motu or on a complaint received from,–

(a) a victim or any person on his behalf on a sworn affidavit; or

(b) the National or State Human Rights Commission.

Explanation.– "serious misconduct" shall have the same meaning as assigned to it in section 65:

Provided that no anonymous, synonymous, and pseudonymous complaints shall be entertained:

(2) The District Police Complaint Authority shall not enquire into–

(i) any matter where a report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed in an appropriate court;

(ii) any matter pending in National Human Rights Commission/ State Human Rights Commission/ State Commission for Scheduled Castes;

(iii) any matter falling within its jurisdiction after more than one year of its alleged occurrence;

(iv) any matter arising out of use of force by the police authorities in dealing with any unlawful assembly, protest, dharna, blockage of any public passage or disruption of essential services.

(3) The District Police Complaint Authority shall decide the complaints within a period of six months from the date of receipt of the complaint.

(4) The District Police Complaint Authority shall work under the overall control and supervision of the Authority for its proper functioning.

(5) The District Police Complaint Authority shall have powers to make recommendations to the concerned disciplinary authority and it shall take appropriate action thereon.

68D. Staff.– The District Police Complaint Authority shall be assisted by adequate number of officers well versed with law, finance, investigative techniques etc. and the requisite supporting staff on such terms, conditions and allowances, as may be prescribed, for the efficient discharge of its functions.

68E. Conduct of Business.– The District Police Complaint Authority shall devise its own rules for the conduct of its business with the approval of the Authority.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Police Act, 2007, provides for constitution of a State Police Complaint Authority under section 59 and constitution of District Police Complaint Authority under section 68. Under the existing provision under section 59, only one person can be appointed as authority. For disposal of complaints in a just and fair manner, it has been felt necessary to make the authority "Multi-membered". The functions of the Authority are limited to ensuring enquiry of a complaint and make its recommendations about serious misconduct of Police Personnel and thus are administrative in nature. Hence the eligibility of Chairperson and members needs to be prescribed in a plain and simple manner. Besides, the existing provisions of the Act do not prescribed the mode of appointment of Chairperson and members of the authority and even under section 68 the provisions of eligibility, mode of appointment, terms and conditions, functions, removal of Chairman and members of the District Police Complaint Authority etc. have not been provided, which need to be provided for the constitution and proper functioning of the authorities at the State Level and District Level. Hence the amendment.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 12th July, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

There will be financial implication of Rs. 7 Crores approximately annually for Constitution of State Police Complaint Authority and District Police Complaint Authority.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2014 का विधेयक संख्या 29 — एच०एल०ए०

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,-

(I) खंड (क) से पहले, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(іक) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 59 के अधीन गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ;';

(II) खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(कक) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष, ;';

(III) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(गग) "जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 68 के अधीन गठित जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण ;';

(IV) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(चच) "सदस्य" से अभिप्राय है, प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य, ;';

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 59 का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 59 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"59 प्राधिकरण का गठन.-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस नाम से पुकारे जाने वाला निकाय गठित करेगी।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) अध्यक्ष; तथा

(ख) सदस्यों की ऐसी संख्या जो आवश्यक समझी जाए, किन्तु तीन से अनधिक हो,;

(ग) मुख्य मन्त्री द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्य लोक जीवन, शिक्षा, विधि, प्रशासन तथा अभिशासन, दार्डिक प्रशासन तथा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का विस्तृत ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से इस निमित्त गठित की जाने वाली राज्य समिति की सिफारिशों पर, जो मुख्य मन्त्री को इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, नियुक्त किये जाएंगे :

परन्तु सदस्य या अध्यक्ष में से कम से कम एक महिला होगी।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 60 में "कोई व्यक्ति प्राधिकरण के" शब्दों के बाद, "अध्यक्ष या सदस्य के" शब्द रखे जाएंगे। 2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 60 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- 2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 61 का प्रतिस्थापन।

"61. प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के निबंधन तथा शर्तें.-(1) अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी जब तक वह,-

(i) उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय त्यागपत्र नहीं देता है; या

(ii) धारा 62 में वर्णित किन्हीं आधारों पर पद से हटाया नहीं जाता है; या

(iii) सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है :

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति पर तीन वर्ष की दूसरी पदावधि के लिए या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्य के पारिश्रमिक, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं तथा उसकी नियुक्ति के बाद उसके हित के लिए परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(3) अध्यक्ष या सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।"।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 62 का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, *अर्थात्* :-

"62. हटाने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित आधारों पर हटाये जा सकते हैं,-

(क) अवचार या कदाचार साबित होने पर;

(ख) कर्तव्यों के पालन में निरन्तर उपेक्षा करने पर;

(ग) किसी ऐसी परिस्थिति के घटित होने पर जो धारा 60 के अधीन उसे नियुक्ति के लिए अपात्र बनाती है; या

(घ) उसके पद के कर्तव्यों से बाहर किसी वैतनिक नियोजन में उसकी पदावधि के दौरान स्वयं लगा हुआ है :

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को हटाने से पूर्व पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह-

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिये के रूप में है ; या

(ख) राज्य सरकार की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य या अवचार के सिद्ध होने के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त है।"।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 65 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 65 उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(I) प्राधिकरण उप पुलिस अधीक्षक की पदवी और ऊपर के पुलिस कार्मिक के विरुद्ध नीचे यथा विस्तृत गंभीर अवचार के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेगा,-

(क) पीड़ित या गृहीत शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति;

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग।

व्याख्या.-इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "गम्भीर अवचार" से अभिप्राय होगा पुलिस अधिकारी का कोई कृत्य अथवा अकृत जो निम्नलिखित की ओर ले जाता है

या समझी जाती है--

(क) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास;

(ख) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(ग) घोर उपहति;

(घ) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना हिरासत या निरोध;

(ड.) उद्दापन;

(च) प्रपीड़न के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना;

(छ) संगठित अपराध में पुलिस कार्मिक का सम्मलित होना ;

(ज) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में यथा परिभाषित किसी अपराध में पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्क्रियता जिसमें कम से कम दस वर्ष या अधिक की सजा होगी :

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जांच करेगा, यदि उसकी शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथमदृष्टया संतुष्टि हो जाती है :

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएगी।"।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 68 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम में, धारा 68 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"68. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण.-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक या अधिक जिलों हेतु इस नाम से पुकारे जाने वाला निकाय गठित करेगी।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(क) अध्यक्ष; तथा

(ख) तीन से अनधिक सदस्यों की ऐसी संख्या जो आवश्यक समझी जाए।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य लोक जीवन, शिक्षा, विधि, प्रशासन तथा अभिशासन, दाण्डिक प्रशासन तथा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का विस्तृत ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्ति होंगे :

परन्तु जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में नियुक्त अधिवक्ता ऐसे रूप में उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान विधि व्यवसाय करना बंद कर देगा।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य इस निमित्त गठित की जाने वाली समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(5) कोई व्यक्ति अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अपात्र होगा यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) पैंसठ वर्ष की आयु से अधिक का है;

(ग) लोक सेवक के रूप में नियोजित है;

(घ) कोई निर्वाचित पद धारण करता है जिसमें संसद या राज्य विधानमंडल या किसी स्थानीय निकाय के सदस्य भी शामिल हैं;

(ड.) किसी विद्यमान विधि के अधीन विधि विरुद्ध के रूप में घोषित किसी संगठन का सदस्य है या किसी रीति में उससे सहयुक्त है;

(च) किसी राजनैतिक पार्टी का पदधारी या सदस्य हो;

(छ) नैतिक अद्यमता वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिए या एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध हो गया है;

(ज) उपरोक्त खंड (छ) में वर्णित किसी अपराध के लिए अभियोजन का सामना कर रहा है तथा जिसके विरुद्ध विधि न्यायालय द्वारा आरोप लगाए गए हैं; या

(झ) विकृत्त चित है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

68क. जिला पुलिस शिकायत समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के निबंधन तथा शर्तें–(1) अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जब तक–

(क) वह उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय त्याग-पत्र नहीं देता है ; या

(ख) वह धारा 68ख में वर्णित किन्हीं आधारों पर पद से हटाया नहीं जाता है।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के पारिश्रमिक, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं तथा नियुक्ति के बाद उसके अहित के लिए परिवर्तित नहीं की जाएगी।

68ख. हटाया जाना.–जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है–

(क) अवचार या कदाचार साबित होने पर;

(ख) कर्तव्यों के पालन में निरन्तर उपेक्षा करने पर ;

(ग) किसी ऐसी परिस्थिति के घटित होने पर जो धारा 68 के अधीन उसे नियुक्ति के लिए अपात्र बनाती है ; या

(घ) उसके पद के कर्तव्यों से बाहर किसी वैतनिक नियोजन में उसकी पदावधि के दौरान स्वयं लगा हुआ है।

68ग. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य.-(1) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण निरीक्षकों की पदवी तक के पुलिस कार्मिक के विरुद्ध गंभीर अवचार के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेगा,-

(क) पीड़ित या गृहित शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति;

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग।

व्याख्या- "गम्भीर अवचार" का वही अर्थ होगा जो धारा 65 में इसे दिया गया है :

परन्तु कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण निम्नलिखित में जांच नहीं करेगा :-

(i) कोई मामला जहां दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2), की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट समुचित न्यायालय में दायर की गई है;

(ii) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य आयोग में लम्बित किसी मामले;

(iii) इसकी अभिकथित घटना के एक वर्ष से अधिक के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी मामले;

(iv) किसी विधि विरुद्ध जमाव, विरोध, धरना किसी सार्वजनिक रास्ते की रुकावट या आवश्यक सेवाओं को भंग से निपटने में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न कोई मामला;

(3) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण इसके उचित कृत्यों के लिए प्राधिकरण के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(5) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण को सिफारिशें करने की शक्तियां होंगी और वह उन पर उचित कार्रवाई करेगा।

68घ. अमला.-जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की विधि, वित्त, अन्वेषणात्मक तकनीकों इत्यादि में निपुण अधिकारियों तथा इसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा भत्तों जो विहित किए जाएं, पर अपेक्षित समर्थित अमले की पर्याप्त संख्या द्वारा सहायता की जाएगी।

68ङ. कार्य संचालन.-जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, प्राधिकरण के अनुमोदन से अपने कार्य संचालन के लिए वह अपने नियमों को तैयार करेगा।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 59 के अन्तर्गत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन और धारा 68 के अन्तर्गत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। वर्तमान प्रावधान का धारा 59 के अन्तर्गत केवल एक व्यक्ति को ही प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। शिकायतों की सही एवं निष्पक्ष रूप से निपटान करने के लिये बहु-सदस्यीय प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। शिकायतों की जांच सुनिश्चित करने और पुलिस कर्मियों के गंभीर दुराचारों बारे अपनी सिफारिशें करने के लिए प्राधिकरण के कार्य सीमित हैं और इस प्रकार प्रशासनिक रूप के हैं। अत: अध्यक्ष एवं सदस्यों की पात्रता को सरल एवं सीधे रूप से निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के वर्तमान प्रावधान प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की विधि निर्धारित नहीं करते और धारा 68 के तहत भी जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पात्रता, नियुक्ति की विधि, नियम एवं शर्तें, कार्य एवं निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्राधिकरणों के गठन एवं उचित संचालन के लिये उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए संशोधन किया गया।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : सुमित कुमार,
दिनांक 12 जुलाई, 2014 सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड की संरचना/जिला स्तरीय भर्ती बोर्ड के गठन से राजकोष पर लगभग 7.00 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक बोझ पड़ेगा।

52456—HVS—H.G.P., Chd.